न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः /2025
निर्णय दिनांक : 17.07.2025
जीसीएमएस नम्बर : 2025/

1. बिरमाराम पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी ग्राम बाघसरा पूर्वी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत रोही ग्राम न्यामा के खेत खसरा संख्या 1068/396 तादादी 1.2139 है0 संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाम बीरबल है जो कि गलत है, प्रार्थी का सही नाम बिरमाराम है। प्रार्थी के अन्य सरकारी दस्तावेजात में सही नाम अंकित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का सही नाम बिरमाराम है जिसे आम बोलचाल की भाषा में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

बिरमा राम बोला जाता है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बीरबल के स्थान पर बिरमाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा यथा आधारकार्ड,, पैनकार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम में बिरमाराम अंकित है। इसी प्रकार पहचान प्रमाण पत्र द्वारा ग्राम पंचायत शोभासर में बीरबल पुत्र आशाराम व बिरमाराम पुत्र आशाराम को एक ही व्यक्ति बताया गया है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि वाके रोही ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ में नया खाता संख्या 189 में अंकित खेत खसरा संख्या 1068/396 तादादी 1.2139 है0 खातेदारी में दर्ज खातेदार का नाम बीरबल के स्थान पर बिरमाराम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़